प्रेस विज्ञप्ति
22/09/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने हैदराबाद और मंदसौर में स्थित अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। उक्त संपत्तियों का मूल्य ₹90 लाख से अधिक है।

ईडी ने अपराध शाखा, इंदौर द्वारा वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल एवं अन्य के विरुद्ध स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। अनुसूचित अपराध लगभग ₹70 करोड़ मूल्य के मेफेड्रोन (एमडी) की वाणिज्यिक मात्रा के अवैध कब्जे एवं तस्करी से संबंधित है।

पीएमएलए के तहत की गई जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से नकदी के रूप में पर्याप्त मात्रा में अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की तथा इस नकदी को कई व्यक्तिगत और व्यावसायिक बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया। वित्तीय जांच में अपराध से अर्जित आय की व्यवस्थित प्लेसमेंट, लेयरिंग और छिपाव को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण नकद लेन-देन का पता चला है। जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों से यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति अपनी नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के अतिरिक्त मादक पदार्थों की आपूर्ति एवं तस्करी में भी संलिप्त थे।

इससे पूर्व, ईडी ने दिनांक 17.07.2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर में स्थित विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। इस मामले में ईडी द्वारा तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी व्यक्ति वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

***